न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

जगदीश प्रसाद पुत्र चतराराम
जाति जाट सा. इन्द्रपुरा तह. लाडनू

1. किशनलाल पुत्र मनालाल कुमावत
वगैरहा 1 से 25 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम वकील प्रार्थी
श्री महावीर प्रसाद वकील अप्रार्थी 1, 2
श्री रामेश्वरलाल नेहर वकील अप्रार्थी 3, 5,6,9,17,20

मुकदमा नम्बर :– 158/2012 निर्णय दिनांक :– 18.06.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नावां के खसरा नम्बर 147, 148, 149, 150 कुल रकबा 8.02 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा मनाराम पुत्र भैरूलाल व 1/2 हिस्सा मेघराज पुत्र भैरूलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था जिसका दोनों खातेदारो ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लियाउ जिसकी लिखावट दिनांक 29.03.1994 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा ली जिसके अनुसार उत्तरी तरफ की सीकर रोड़ पर 1/2 हिस्सा खातेदार मन्नाराम हक में व दक्षिणी तरफ की सांभर रोड पर 1/2 हिस्से की भूमि खतोदार मेघराज के हक व बंट में रखी गई। इसी अनुसार मोके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज हो गऐ, खसरा नम्बर 148 में अप्रार्थी 7 के मकान बने हुऐ हैं जो 0.09 हैटयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 150 में 3.91 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 7 के कब्जे व बंट में आयी जिसमें नया कुआ व बालाजी का मंदिर हैं इसमें मन्नाराम का कोई हक हिस्स नहीं था खसरा नम्बर 150 के उत्तरी तरफ की 4.01 हैक्टयर की भूमि अप्रार्थी 1 व 2 के पिता मन्नाराम के बंट व हक हिस्से में रही थी। खातेदार मन्नाराम ने अपने बंटवारे कब्जा काश्त की भूमि में घरेलू आवश्यकता से नकद प्रतिफल की राशि प्राप्त कर 0.32 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 3

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

को, 0.32 हैक्टयर अप्रार्थी 4 को, 0.32 हैक्टयर भूमि प्रार्थी को , 0.16 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 5 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं माफिक विकय विलेख दिनांक 29.12.1994 के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी 3 से 6 मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी 7 ने भी अपनी खातेदारी में से अन्य अप्रार्थीगण को भूमि का बैचान कर दिया हैं तथा मोके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं प्रार्थी व अप्रार्थी 3 से 6 ने अपने हक हिस्से की भूमि को कठोर परिश्रम कर भारी राशि का व्यय कर सुधार करवाया हैं। अप्रार्थी 1, 2 व 7 द्वारा षडयन्त्रपूर्वक बाहुबल के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी 3 से 6 को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसमें अप्रार्थी सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपारक्षति होगी व प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकशान उठाना पड़ेगा। जिससे प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत विधिवत बंटवारे के वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 3, 5,6,9,17,20 की ओर से अभिभाषक उपस्थित होने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी 1, 2 ने जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया हैं। तथा शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी 1, 2 ने जवाब में निवेदन किया हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी 3 से 6 को वर्ष 1994 में बैचान किया जाना स्वीकार हैं। अप्रार्थी ने स्वीकार किया हैं कि भौतिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 148 रकबा 0.09 हैक्टयर सम्पूर्ण जिसमें मकानात हैं तथा खसरा नम्बर 147 रकबा 0.01 हैक्टयर गै.मु. कुआ बना हुआ हैं उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 7 व खसरा नम्बर 150 रकबा 7.92 हैक्टयर में से 3.89 हैक्टयर कुल रकबा 3.99 हैक्टयर भूमि जो दक्षिणी तरफ नावां जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित हैं अप्रार्थी 7 के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 149 रकबा 0.03 हैक्टयर रहवासीय ढाणी व खसरा नम्बर 150 रकबा 7.92 हैक्टयर में स 3.95 हैक्टयर कुल रकबा 3.98 हैक्टयर उत्तरी तथा पश्चिमी तरफ नावां सीकर मार्ग पर अप्रार्थी 1, 2 के पिता मनाराम के हक व हिस्से में रखी गई थी प्रार्थी व अप्रार्थी 3 से 6 को 1.16 हैक्टयर भूमि का बैचान कर नावां सीकर मार्ग पर कब्जा सुपुर्द किया गया था तो एक ही चक मे स्थित हैं अप्रार्थी 7 द्वारा बैचान करने पर

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

दक्षिणी पूर्व हिस्से पर अप्रार्थी 8 से 22 काबिज काश्त हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी 1, 2 को परेशान हेरान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार दोनों ही पक्षों ने विवादित भूमि का तत्कालिन खातेदार अप्रार्थी 1, 2 के पिता व अप्रार्थी 7 के बीच प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार बंटवारा होना स्वीकार किया हैं प्रार्थी व अप्रार्थी 3 से 6 को नावां सीकर मार्ग पर भूमि का बैचान करना भी स्वीकार किया हैं। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसा प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौके पर किस को कहां कब्जा दिया गया तथा कौनसा खातेदार कहां पर काबिज हैं यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर यह होना है। पक्षकारो में भूमि के हक हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं हैं केवल मात्र कब्जे का विवाद हैं प्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि वर्ष 1994 में खरीद कर मौके पर काबिज काश्त हैं, जहां से प्रार्थी को बेदखल किया जाता हैं तो प्रार्थी को अपारक्षति होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। प्रार्थी ने उक्त भूमि खरीद कर चारो तरफ डोल आदि लगायी हैं मौके पर राशि खर्च कर भूमि का सुधार किया हैं जिससे प्रार्थी को वंचित कर दिया जाता हैं प्रार्थी अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। जिससे सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीक्षति प्रार्थी के पक्ष में है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किऐ जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.10.2012 को अन्तिरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)